2011:CGHC:7409

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) संख्या 4814 / 2010</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : बस्तर शिक्षण समिति

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : छत्तीसगढ राज्य और अन्य

और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) संख्या 5951 / 2010</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : कु. उर्मिला अचार्य

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : बस्तर शिक्षण समिति और अन्य

दिनांक 24 जनवरी 2011 को आदेश हेतु सूचिबद्ध करें ।

सही/ -

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4814 / 2010

याचिकाकर्ता : बस्तर शिक्षण समिति

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ राज्य और अन्य

और

रिट याचिका (सेवा) संख्या 5951 / 2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : कु. उर्मिला अचार्य

बनाम

उत्तरवादीगण : बस्तर शिक्षण समिति और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अर्न्तगत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

उपस्थित : **रिट याचिका (सेवा) संख्या 4814 / 2010**

श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री ए.व्ही. सिदार, पेनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता उत्तरवादी क्र.3 की ओर से

रिट याचिका (सेवा) संख्या 5951 / 2010

श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता उत्तरवादीगण 1 से 3 की ओर से।

श्री ए.व्ही. सिदार, पेनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

(दिनांक 24 जनवरी 2011 को उद्घोषित)

1. रिट याचिका (सेवा) संख्या 4814 / 2010 को बस्तर शिक्षण समिति (संक्षेप में "समिति") द्वारा दायर की गई है, जिसमें संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर (संक्षेप में "संचालक") द्वारा अपील क्रमांक 394/2009 में पारित आदेश दिनांक 12-8-2010 की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा इस याचिका में उत्तरवादी संख्या 3 और रिट याचिका (सेवा) संख्या 5951 / 2010 (संक्षेप में "उत्तरवादी संख्या 3") में याचिकाकर्ता कु. उर्मिला आचार्य के दिनांक 23-9-2009 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उनकी अपील स्वीकार कर ली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. रिट याचिका (सेवा) संख्या 5951 / 2010 में याचिकाकर्ता (उत्तरवादी संख्या 3 ने) समिति और उसके अध्यक्ष यह निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है वे संचालक द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-8-2010 का अनुपालन करें।

3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि समिति एक पंजीकृत और पूर्ण अनुदान प्राप्त समाज है और पारित है जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय अनुदान के आधार पर विद्यालय संचालित करती है। उत्तरवादी संख्या 3 को दिनांक 13-7-1976 को व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था। समिति ने दिनांक 23-9-2009 के आदेश द्वारा आत्मसंतुष्टि के आधार पर उत्तरवादी संख्या 3 को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया।

4. इसके विरुद्ध, उत्तरवादी संख्या 3 ने संचालक के समक्ष एक अपील/अभ्यावेदन किया। संचालक ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि परीक्षण /प्रबंधन समिति (संक्षेप में "समिति") यह स्थापित करने में असफल रही है कि याचिकाकर्ता

की सेवा लोकहित में आवश्यक नहीं थी, इस प्रकार आदेश दोषपूर्ण था और उसे अपास्त कर दिया गया। अतः, समिति द्वारा यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. श्री श्रीवास्तव, समिति की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत तरवादी संख्या 3 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 33 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लोकहित में परीक्षण समिति की सिफारिश तथा समिति की प्रबंधन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, जिसमें मुलभूत नियम 56 (संक्षेप में "एफआर 56") के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक तीन माह के वेतन का भुगतान किया गया था। श्री श्रीवास्तव आगे तर्क दिया हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम, 1966") के प्रावधान लागू नहीं होते। उत्तरवादी संख्या 3, एक शासकीय सहायता प्राप्त निजी संस्थान के कर्मचारी होने के नाते, उनकी सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 (संक्षेप में "अधिनियम, 1978") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1983 (संक्षेप में "नियम, 1983") के प्रावधानों के अधीन शासित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री श्रीवास्तव ने यह भी तर्क दिया हैं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील 30 दिन के भीतर नहीं थी और विलंब को क्षम्य किये जाने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड के रूप में नहीं था और यह निर्णय उत्तरवादी संख्या 3 की संपूर्ण सेवा अवधि, गोपनीय प्रतिवेदन आदि पर विचार करने के पश्चात लिया गया था। संचालक ने उत्तरवादी संख्या 3 के अभ्यावेदन को एक अपील के रूप में मानकर त्रुटि की है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पूर्व उत्तरवादी संख्या 3 को सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।

7. अपने तर्क के समर्थन में, श्री श्रीवास्तव ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा एवं अन्य [1], जुगल चंद्र साइकिया बनाम असम राज्य एवं अन्य [2]और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम एस.एम.के. खान[3]।

[1] (1992) 2 SCC 299
[2] (2003) 4 SCC 59
[3] (2009) 5 SCC 732

8. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शुक्ला द्वारा एक तर्क दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान समिति के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, क्योंकि वहाँ पेंशन लाभ या सेवानिवृत्ति लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। मुलभूत नियम 56 के प्रावधान केवल शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं, समिति के कर्मचारियों, शिक्षकों पर नहीं, जोकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। श्री शुक्ला ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम, 1978 या नियम, 1983 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को शास्ति के रूप में माना जा सकता है और यह नियम, 1966 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत शास्ति की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

9. श्री शुक्ला ने यह भी तर्क देते हैं कि हैं कि अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। व्यक्तिपरक संतुष्टि का अर्थ है समिति की व्यक्तिगत मनमर्जी, न कि समिति के समक्ष उपलब्ध वस्तुपरक सामग्रियों के आधार पर। इस प्रकार, समिति द्वारा दायर याचिका, जो असंवैधानिक, अवैध और दूषित होने के कारण अभिखण्डित किये जाने योग्य है और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत याचिका अर्थात रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5951/2010 को व्यय सहित स्वीकार किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कें सुनी, अभिलेखों एवं उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया ।

11. विवाद के न्याय निर्णयन के लिए सुसंगत तथ्य निर्विवाद हैं। उत्तरवादी संख्या 3 को समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो अपीलकर्ता प्राधिकारी के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय पारदर्शी, वस्तुपरक और दर्ज किए गए कारणों के आधार पर होना चाहिए, जो समिति के अधिकारियों/सदस्यों के द्वारा विचार-प्रक्रिया के अनुप्रयोग को दर्शाते हों।

12. 'वस्तुपरक' एवं 'व्यक्तिपरक' शब्दों के अर्थ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (आठवाँ संस्करण) में निम्न प्रकार दिए गए हैं:

"वस्तुपरक, विशेषण। 1. बाह्य रूप से प्रमाणित किए जा सकने वाले परिघटनाओं से संबंधित या उन पर आधारित, किसी व्यक्ति की धारणाओं, भावनाओं या आशयों के विपरीत <वस्तुपरक तथ्य>। 2. पूर्वाग्रह या पक्षपात रहित, निस्वार्थ <क्योंकि उसका बेटा शामिल था, उसे लगा कि वह वस्तुनिष्ठ नहीं रह सकती>। तुलना करें: व यक्तिपरक (SUBJECTIVE)"

" **व्यक्तिपरक, विशेषण।** 1. किसी व्यक्ति की धारणाओं, भावनाओं या आशयों पर आधारित, बाह्य रूप से प्रमाणित किए जा सकने वाले परिघटनाओं के विपरीत <अनुबंध का व्यक्तिपरक सिद्धांत - कि पक्षकारों की विचारों की वास्तविक सहमति होनी चाहिए - अधिकांश न्यायालयों द्वारा समर्थित नहीं है>। 2. व्यक्तिगत; वैयक्तिक <लोकप्रिय संगीत के बारे में व्यक्तिपरक निर्णय>। तुलना करें: वस्तुपरक"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सर्वोच्च न्यायालय ने ईस्ट कोस्ट रेलवे एवं अन्य बनाम महादेव अप्पा राव एवं अन्य [4]में, प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए विवेक पर विचार करते हुए, प्रोफेसर डी स्मिथ, वूल्फ और जोवेल की पुस्तक 'जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन' के एक अंश का अवलंब लेते हुए, निम्नलिखित रूप से अवधरित किया:

"23. किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में मनमानी विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार-प्रक्रिया का अनुप्रयोग न करना उनमें से केवल एक है। किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश में, आदेश पारित करने वाले व्यक्ति द्वारा उचित एवं पर्याप्त विचार-प्रक्रिया के अनुप्रयोग का प्रकटीकरण होना चाहिए। यह आदेश स्वयं से या तत्कालीन रखे गए अभिलेख से स्पष्ट हो सकता है। विचार-प्रक्रिया का अनुप्रयोग सर्वोत्तम रूप से आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा मन के प्रकटीकरण से प्रदर्शित होता है। और यह प्रकटीकरण सर्वोत्तम रूप से उन कारणों को अभिलिखित करके

[4] (2010) 7 SCC 678

किया जाता है जिनके आधार पर प्राधिकारी ने प्रश्नगत आदेश पारित किया। आदेश में या तत्कालीन रखे गए अभिलेख में कारणों का अभाव स्पष्ट रूप से इस बात का सूचक है कि आदेश मनमाना है और इसलिए विधिक रूप से अटल नहीं है।"

इस प्रकार, एक प्रावधान के अभाव में भी, व्यक्तिपरक संतुष्टि में विवेकाधिकार का एक तत्व शामिल होता है, जिसकी आलोचना कई न्यायिक निर्णयों में की गई है।

<u>विधिक प्रावधान</u>

14. अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत, 'सक्षम प्राधिकारी' को धारा 2 (ख) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2 (ख) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त एक प्राधिकारी है;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. 'संस्था' को अधिनियम, 1978 की धारा 2 (ङ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2 (ङ) 'संस्था' का अर्थ एक अशासकीय विद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए अशासकीय शैक्षिक संस्थान है जो राज्य सरकार से या छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से, जैसा भी मामला हो, अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा हो, जिसकी स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का अंक 44) के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है, किंतु इसमें वह संस्था शामिल नहीं है जिसकी स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन-

(i) केंद्र सरकार द्वारा; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा; या

(iii) एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, या

(iv) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, नियंत्रित, अनुमोदित या प्रायोजित किसी एजेंसी द्वारा किया जाता हो,

जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सके;

(v) छत्तीसगढ़ गैर-व्यापारिक निगम अधिनियम, 1962 (1962 का अंक 20) के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत या उसके अंतर्गत पंजीकृत माने जाने वाले एक गैर-व्यापारिक निगम द्वारा किया जाता हो;"

16. 'अध्यापक' को अधिनियम, 1978 की धारा 2 (च) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2 (च) 'अध्यापक' का अर्थ किसी संस्था का एक ऐसा अध्यापक है जिसे संस्था की मान्यता/संबद्धता या किसी नए विषय या उच्च कक्षा या विद्यमान कक्षा में एक नए खंड की शर्तों की पूर्ति हेतु नियोजित किया गया हो, जैसा भी मामला हो, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी विश्वविद्यालय या आयोग द्वारा, और संस्था के वेतन पत्रक में एक पद के विरुद्ध ऐसे नियोजन के रूप में दर्शाया गया हो, किंतु इसमें वह अध्यापक शामिल नहीं है जिसकी नियुक्ति धारा 6 के उपखंड (ग) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दी गई हो;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अधिनियम, 1978 की धारा 6 पदों के सृजन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवाओं की समाप्ति पर प्रतिबंध का उपबंध करती है। यह इस प्रकार है:

6. **पदों के सृजन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवाओं की समाप्ति पर प्रतिबंध-** यद्यपि वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, उपनियम, विधि या विनियमों में कुछ भी अंतर्विष्ट हो, तथापि –

(क) नियत तारीख से प्रारंभ होकर-

(i) किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा और किसी अध्यापक या

अन्य कर्मचारी की भर्ती इस प्रयोजन हेतु विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) अध्यापकों या कर्मचारियों के पास ऐसी योग्यताएँ एवं अनुभव होंगे जो विहित किए जा सकें; और

(iii) किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी को, विहित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात पारित आदेश के अलावा, सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा या उसकी सेवाएँ समाप्त नहीं की जाएंगी।

परंतु, एक अध्यापक या अन्य कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी, हटाए जाने या सेवा से समाप्ति के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और ऐसा प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जो उसे विहित रीति से उचित प्रतीत हो, उक्त आदेश को या तो रद्द या पुष्ट या संशोधित कर सकता है और अपील के निपटारे की प्रतीक्षा में, अपीलीय प्राधिकारी ऐसे आधारों पर, जो उसे उचित प्रतीत हों, आदेश के प्रवर्तन पर भी रोक लगा सकता है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की ऐसी पूर्व स्वीकृति के बिना नब्बे दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं रखा जाएगा;

परंतु कि सक्षम प्राधिकारी अपनी स्वीकृति केवल विहित जाँच करने तथा विहित समय के भीतर ही देगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी, किसी संस्था के एक अध्यापक या कर्मचारी द्वारा, जिसे नियत तारीख से तीस दिन के भीतर एक आवेदन किया गया हो, जिसे सेवा से

बर्खास्त या हटाया गया हो या जिसकी सेवा किसी संस्था के प्रबंधन द्वारा 17 नवंबर, 1977 को या उसके पश्चात किसी भी समय समाप्त की गई हो, संस्था के प्रबंधन तथा ऐसी बर्खास्तगी, हटाए जाने या समाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात जो उसे उचित प्रतीत हो, बर्खास्तगी, हटाए जाने और समाप्ति को, जैसा भी मामला हो, शून्य घोषित कर सकता है और संस्था के प्रबंधन को ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को सेवा में पुनर्बहाल करने का निदेश दे सकता है;

(ग) सक्षम प्राधिकारी 17 नवंबर, 1977 से प्रारंभ होकर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों के मामलों की समीक्षा करेगा और, यदि संस्था के प्रबंधन तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, उसे यह प्रतीत होता है कि नियुक्तियाँ इस अधिनियम की प्रत्याशा में की गई थीं, तो वह उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा ऐसी नियुक्ति को अस्वीकृत कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. नियम, 1983 नियुक्ति, जाँच तथा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को हटाने, समाप्ति के संबंध में प्रबंधन के निर्णय की प्रक्रिया का उपबंध करते हैं।

19. मूलभूत नियम 56 इस प्रकार है:

"56. सेवानिवृत्ति की आयु-
(1) उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय सेवक उस माह के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परंतु कि जिस शासकीय सेवक की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2)(क) एक शासकीय सेवक को, लोकहित में, पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किसी भी समय, कोई कारण बताए बिना, उसे लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(ख) ऐसी सूचना की अवधि तीन माह होगी:"

"परंतु कि ऐसे शासकीय सेवक को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक सूचना अवधि के लिए उसी दर पर जिस पर वह सेवानिवृत्ति से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था, उसके वेतन एवं भत्तों की राशि के बराबर राशि का दावा करने का हकदार होगा या, जैसा भी मामला हो, उस अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए ऐसी सूचना तीन माह से कम हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि संस्था अर्थात इस मामले में समिति का अध्यापक शासकीय कर्मचारी नहीं है। उनकी सेवा शर्तें अधिनियम, 1978 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। अधिनियम, 1978 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत, जो एक सर्वोपरि खंड है, किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल बर्खास्तगी, हटाए जाने, "समाप्ति" का प्रावधान है और यह केवल नियम, 1983 के अनुसार ही किया जा सकता है, जो कारण बताओ नोटिस जारी करने, आचरण की जाँच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का उपबंध करता है। इस प्रकार, अधिनियम, 1978 के प्रावधानों से असंबध्द अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सेवा से हटाए जाने के तुल्य है और यह विधि की विहित प्रक्रिया, जैसा कि अधिनियम, 1978 और नियम, 1983 में निर्धारित है, का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता था।

21. सुप्रीम कोर्ट ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेज 1950-2004 में, न्यायमूर्ति आर.पी. सेठी द्वारा, 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"अनिवार्य सेवानिवृत्ति। सेवा न्यायशास्त्र में 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' के दो अर्थ हैं। विभिन्न अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत, 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' एक दोषी शासकीय सेवक पर अनुशासनिक कार्यवाही में दोष सिद्ध होने के परिणामस्वरूप लगाए जाने वाले दंडों में से एक है। ऐसा दंड कलंक से युक्त होता है और संबंधित नियमों द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना या, यदि ऐसा दंड लगाया जाना किसी नियम द्वारा आच्छादित न हो, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किए बिना नहीं लगाया जा सकता। शासकीय सेवक के मामले में ऐसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को संविधान के अनुच्छेद 311 की जाँच भी झेलनी पड़ती है। फिर ऐसे सेवा नियम हैं, जैसे मूलभूत नियमों का नियम 56(ज्ञ), जो सरकार या उचित प्राधिकारी को, यह राय बनाने पर कि लोकहित में किसी शासकीय सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना आवश्यक है, एक विशेष आयु प्राप्त करने या सेवा के एक निश्चित वर्ष पूरे करने पर शासकीय सेवक को सेवानिवृत्त करने का एक पूर्ण (किंतु मनमाना नहीं) अधिकार प्रदान करते हैं। उस स्थिति में, यह न तो एक दंड है और न ही सेवानिवृत्ति लाभों की हानि के साथ एक दंड है। (देखें: श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995) 1 एससीएफ; 26; बृजमोहनसिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य जेटी 1987 (1) एससी 673: (1987) 2 एससीसी 188; एस. रामचंद्र राजू बनाम उड़ीसा राज्य जेटी 1994 (5) एससी 459: (1994) सप्ली 3 एससीसी 424; बैकुंठ नाथ दास एवं अनर बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा एवं अनर जेटी 1992 (2) एससी 1: (1992) 2 एससीसी 299)। अधिक उचित रूप से यह अकाल सेवानिवृत्ति के समान है। यह कोई कलंक नहीं लगाती। शासकीय सेवक वास्तव में अर्जित पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा। बिश्वनाथ प्रसाद सिंह आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2001) 2 एससीसी 305: जेटी (2001) 1 एससी 161।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान मामले में मूलभूत नियम 56 की अधिसूचना को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उक्त प्रावधान केवल शासकीय सेवकों पर लागू होता है, किसी अन्य कर्मचारी या शिक्षकों पर नहीं, जो अधिनियम के अन्य प्रावधानों द्वारा शासित हैं, जिनके लिए पृथक वैधानिक प्रावधान उपलब्ध हैं।

23. एक शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा की एक शर्त है, क्योंकि शासकीय सेवक को उसके सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में, जहाँ पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले और अधिनियम 1978 एवं नियम, 1983 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से हटाया जाना एक शास्ति है, जो व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता।

24. याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के बैकुंठ नाथ दास (उपर्युक्त) के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश शास्ति नहीं है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह आदेश एक शासकीय सेवक के मामले में पारित किया गया था। उस मामले में सभी प्रासंगिक सुसंगत और गोपनीय प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और सभी सामग्रियों के परीक्षण पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वैध पाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. वे सभी मामले जिनमें शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति शामिल थी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के स्पष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत, वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते, क्योंकि यहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

26. भारत संघ एवं अन्य बनाम आर.सी. मिश्रा [5]में, जिस पर उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शुक्ला ने भरोसा किया है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अभिखंडित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवधारित किया:

> "5 ..... उत्तरवादी के विरुद्ध केवल इतना ही कहा गया है कि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक थीं और वह अक्षम था। यदि ऐसा था, तो जैसा कि अधिकरण द्वारा ठीक ही कहा गया है, प्राधिकारियों को उत्तरवादी के मामले

[5] (2003) 9 SCC 217

पर विचार करना चाहिए था कि क्या उसे किसी निम्न पद पर, जिससे वह उच्च पद पर पदोन्नत हुआ था, सेवा में बनाए रखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति प्राप्त पद में अक्षम पाया गया, तो उसे कम से कम निचले पद पर सेवा में बनाए रखा जा सकता था। यह पूर्वोक्त निर्देशों की एक आवश्यकता है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पूर्व ऐसा कोई विचार नहीं किया गया था। यह भी सुसंगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरवादी के विरुद्ध किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों का उसे अवगत नहीं कराया गया था। इसके अलावा, तथाकथित प्रतिकूल टिप्पणियाँ या तो अच्छी या औसत थीं; समिति द्वारा इन टिप्पणियों का गलत अर्थ लगाया गया प्रतीत होता है....."

27. उपर्युक्त कारणों से, समिति द्वारा दायर रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4814/2010, जो निर्मूल है, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. समिति द्वारा दायर रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4814/2010 के खारिज किए जाने के दृष्टिगत, उत्तरवादी संख्या 3 अर्थात रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5951/2010 में दायर याचिका में कोई आदेश आवश्यक नहीं है। उत्तरवादी संख्या 3 संचालक द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 12-8-2010 के परिणामस्वरूप सभी अनुतोषों की हकदार है।

29. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/ -

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur